



**Vikas Lifecare Limited**  
(A NSE / BSE Listed Company )  
CIN : L25111DL1995PLC073719  
Web : www.vikaslifecarelimited.com  
Email : info@vikaslifecarelimited.com  
Tel. : +91-11-40450110

December 21, 2024

Listing Compliance Department  
National Stock Exchange of India Limited.  
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai 400051  
Fax: 022-26598235/36

Listing Compliance Department  
BSE Limited.  
Phirozee Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001

**NSE Symbol: VIKASLIFE**

**Scrip Code: 542655**

**Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot and submission of Newspaper Advertisement made in this regard.**

Dear Sir/Ma'am,

We are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement relating to the "Notice of Postal Ballot & E-voting information", as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers, in compliance with the provisions of Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website at [www.vikaslifecarelimited.com](http://www.vikaslifecarelimited.com).

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Yours Faithfully,

*for* **Vikas Lifecare Limited**

**Sundeep Kumar Dhawan**  
**Managing Director**  
**DIN: 09508137**

**Regd. Office :** Vikas House, 34/1, Vikas Path, East Punjabi Bagh, New Delhi - 110026

**Factory I :** G-83, Vigyan Nagar, RIICO Indl. Area, Shahjahanpur, Dist. Alwar, Rajasthan - 301706

**Factory II :** Plot No. 193, Revenue Survey No. 93, Baikampady, Dist. Dakshina Kannada, Mangaluru, Karnataka - 575011







सार्वजनिक नोटिस				
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली स्ट्रीट एंड पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय ओपी बिल्डिंग नं. 11, हिसार - 120005 हरियाणा, कोर्पोरेट कार्यालय, जिनंद सेंटर, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-32, गुरुग्राम - 122001 के नीचे उल्लिखित इतिहासी शेरों के प्रमाण पत्र को आप / मैं / जगत लाल पर रख दिए गए हैं और उक्त इतिहासी शेरों के धारक / खरीदारों को बुकिंग शेरों प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी को आवेदन किया है।				
कोई भी व्यक्ति जिसके पास उक्त शेरों के संबंध में कोई दावा है, उसे इस तिथि से 15 दिनों के भीतर कम्पनी के कोर्पोरेट कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए अथवा कम्पनी बिना किसी और सूचना के उपरोक्त आवेदकों को बुकिंग प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई करेगी।				
फाइल नं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	विशिष्ट संख्या	प्रमाणपत्र संख्या
469712	अनुल सिंघल	6100	281037387	281043486
			510711	510711

हस्ता/—  
अनुल सिंघल

जिनंद सेंट्रल एंड पावर लिमिटेड,  
स्टील सेंटर, प्लॉट नंबर 2,  
सेक्टर-32, गुरुग्राम - 122001

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 20.12.2024

प्रारूप ए	
सार्वजनिक घोषणा	
(भारतीय विद्याला और ऋण शोध अकादमी द्वारा (स्वीडिच परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)	
<b>कोल्ट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिताधारकों के ध्यानार्थ</b>	
1. कोर्पोरेट व्यक्ति का नाम	कोल्ट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. कोर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	23 अक्टूबर, 2019
3. प्राधिकृत निदेशक/अधीन कोर्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज/एन.सी.टी.डी.आफ दिल्ली और हरियाणा
4. कोर्पोरेट पचास संख्या / सीमित पचास पचास कोर्पोरेट लोगों की संख्या	U64203DL2019FTC356555
5. कोर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रार/पंजीकृत कार्यालय और प्रमाण कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	सुइट नं. 20ए, हिरियाण प्लॉट, गोबिंद मेहन, एच ब्लॉक, कर्नाट सॉलर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
6. कोर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	19 दिसंबर 2024
7. परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	नवीन नारायण पता: एच-3/63, प्रथम तल, विहारपुरा, नई दिल्ली-110018 ईमेल: nnarang.associates@gmail.com फोन नंबर: +91981005476 पंजी. सं.: IBB/PA-002/IP-N00794/2019-2020/12566 एफएफए: 30 जून 2025 तक
8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि	18 जनवरी 2025

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोल्ट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 19 दिसंबर 2024 को स्वीडिच परिसमापन आरंभ किया है। (परिसमापन प्रारंभ तिथि)

कोल्ट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिताधारकों को एतद्द्वारा यह 7 के समूह उल्लिखित पाठ पर परिसमापक के पास 18 जनवरी 2025 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। विद्यमान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी प्रकार के दावों के प्रमाण अतिरिक्त रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावों के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/—  
नवीन नारायण

परिसमापक, कोल्ट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
स्थान: नई दिल्ली

पंजीकरण सं.: IBB/PA-002/IP-N00794/2019-2020/12566

प्रारूप सं.3 [विनियम-15(1)(ग)/16(3) (डीआरटी 2)]

**ऋण वसूली अधिकरण, चाण्डीगढ़ (डीआरटी 2)**

पत्तों में निम्न एसीसी 33-34-35 सेक्टर-17ए, कर्नाट (नौरी एच ब्लॉक पर भी अधिसूचना जारी आती है)

केस नं.: ओए/1001/2024

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समम)

सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया

सुधमा सुधमा

प्रति,

(1) सुधमा सुधमा डी/डब्ल्यू/एस/ओ- निवृत्तनपाल

सुधमा पत्नी सुधरामपाल, सुधमा मकान नं. 305, ग्राम ऐहरी एवं जिला झरनर हरियाणा-124108. झरनर, हरियाणा-124108.

(2) सतपाल, गाँव ऐहरी, झरनर, हरियाणा-124108.

(3) कविता, गाँव ऐहरी, झरनर, हरियाणा-124108.

जबकि, ओए/1001/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष

14/10/2024 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण रु.26,73,650.06 के ऋणों की वसूली हेतु आपके लिखित दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश यानि सम्मन/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रलेखों आदि की प्रतियाँ के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, अर्थात् प्रतिवादीयों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् सम्मन प्रसारित होने के तीस दिवसों के अन्दर कारण बानाना होगा कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र को क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संघर्षियाँ एवं परिस्पष्टियाँ के अतिरिक्त अन्य संघर्षियाँ अथवा परिस्पष्टियाँ के विवरण प्रकट करें ;

(3) आपको संघर्षियाँ की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिस्पष्टियाँ या ऐसी अन्य परिस्पष्टियाँ और संघर्षियाँ का लेन-देन करने या निस्तारण करने से रोका गया है ;

(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमान के बिना किसी, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिस्पष्टि, जिस पर प्रतिभूति हित सूचित किया गया है, को और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिस्पष्टियाँ एवं संघर्षियाँ को, हस्तान्तरित नहीं करेंगे;

(5) आप, व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिस्पष्टियाँ या अन्य परिस्पष्टियाँ और संघर्षियाँ की किसी से प्राप्त किसी आय के लिए जिम्मेदार होने और ऐसी किसी आय को, ऐसी परिस्पष्टियाँ पर प्रतिभूत हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाने में जमा करेंगे ;

आपको आवेदक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, लिखित विवरण दायित्व करने और 08/01/2025 को सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निष्पत्ति ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के अंतर्गत निर्गत।

सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

प्रारूप ए	
सार्वजनिक घोषणा	
[भारतीय विद्याला और शोध अकादमी बोर्ड (कोर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अकादमी समापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]	
<b>एजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ</b>	
संबन्धित विवरण	
1. कोर्पोरेट देनदार का नाम	एजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2. कोर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30 अप्रैल, 2010
3. प्राधिकृत निदेशक/अधीन कोर्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4. कोर्पोरेट देनदार के पंजीकृत पचास संख्या / सीमित बाधित पचास संख्या	U45400DL2010PTC202194
5. कोर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमाण कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 201, एलिंगम स्ट्रीट, प्लॉट नं. 8, सीओला, यू.के.इस कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110025
6. कोर्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अकादमी आरंभ तिथि	19 दिसंबर, 2024
7. ऋण शोध अकादमी समापन प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	17 जून, 2025 (सीआईआरपी आदेश 8) तारीख से 180 दिन
8. अंतर्गम समापन प्रोसेशनल के रूप में कार्यालय ऋण शोध अकादमी प्रोसेशनल का नाम और रजिस्ट्रार तल नाम	सर्वे स करयण पंजी. सं.: IBB/PA-002/IP-N00127/2017-18/10296 एफएफए: 30 जून, 2025 तक वैध
9. अंतर्गम समापन प्रोसेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	करयण एंड एसोसिएट्स, 101, मिथुण प्लाजा, सेक्टर-1, (मिक्स हॉस्पिटल के पास) बेशाही, गाजियाबाद-201019 ईमेल: sarvesh_dam@yahoo.com
10. अंतर्गम समापन प्रोसेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	करयण एंड एसोसिएट्स, 101, मिथुण प्लाजा, सेक्टर-1, (मिक्स हॉस्पिटल के पास) बेशाही, गाजियाबाद-201019 ईमेल: anglicorp@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02 जनवरी, 2025
12. अंतर्गम समापन प्रोसेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (क) के तहत (ख) के तहत अधिनियमित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई	लेनदारों का वर्ग - रिजल्ट एस्टेट परियोजना के अंतर्गत आती है।
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु (प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमांकन) प्रोसेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमांकन)	1. श्री राजेश कुमार राय पंजी. सं.: IBB/PA-001/IP-P00272/2017-2018/10516 2. श्री राकेश कुमार जैन पंजी. सं.: IBB/PA-002/IP-N00053/2017-18/10105 3. श्री ऐश्वर्य मोहन महाराज पंजी. सं.: IBB/PA-002/IP-N00135/2017-2018/10351 (क) वेबसाइट: https://bbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण: मोहित राय, जैसा कि फ़ोन नंबर 345 10 में बताया गया है। (घ) https://drive.google.com/drive/folders/198V9KzhMAUSUySL3CaoX9w-PNkHtUspdrive_link

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिनियम में विनियम 10 दिसंबर, 2024 को संकलित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोल्ट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिताधारकों को एतद्द्वारा यह 7 के समूह उल्लिखित पाठ पर परिसमापक के पास 18 जनवरी 2025 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। विद्यमान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी प्रकार के दावों के प्रमाण अतिरिक्त रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावों के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/—  
सर्वे स करयण

अंतर्गम समापन प्रोसेशनल, एजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड  
स्थान: गाजियाबाद

पंजीकरण सं.: IBB/PA-002/IP-N00127/2017-18/10296

प्रारूप सं.3 [विनियम-15(1)(ग)/16(3) (डीआरटी 2)]

**ऋण वसूली अधिकरण, चाण्डीगढ़ (डीआरटी 2)**

पत्तों में निम्न एसीसी 33-34-35 सेक्टर-17ए, कर्नाट (नौरी एच ब्लॉक पर भी अधिसूचना जारी आती है)

केस नं.: ओए/1005/2024

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समम)

सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया

सुधमा सुधमा

प्रति,

(1) विनोद कुमार डी/डब्ल्यू/एस/ओ- श्री जयपाल सिंह

विनोद कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी 394 शीमा राम पट्टी, करोला 14, गुडगाँव, हरियाणा-122504.

(2) राजपाल, वीपीओ गुडगाँव, पटौरी गुडगाँव, वीपीओ गुडगाँव, पटौरी गुडगाँव, गुडगाँव, हरियाणा-123502.

(3) कुलदीप, 394, शीमा राम पट्टी, करोला 14, गुडगाँव हरियाणा-122504.

जबकि, ओए/1005/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष

16/10/2024 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण रु.20,86,662/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके लिखित दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश यानि सम्मन/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रलेखों आदि की प्रतियाँ के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, अर्थात् प्रतिवादीयों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् सम्मन प्रसारित होने के तीस दिवसों के अन्दर कारण बानाना होगा कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र को क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संघर्षियाँ एवं परिस्पष्टियाँ के अतिरिक्त अन्य संघर्षियाँ अथवा परिस्पष्टियाँ के विवरण प्रकट करें ;

(3) आपको संघर्षियाँ की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिस्पष्टियाँ या ऐसी अन्य परिस्पष्टियाँ और संघर्षियाँ का लेन-देन करने या निस्तारण करने से रोका गया है ;

(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमान के बिना किसी, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिस्पष्टि, जिस पर प्रतिभूति हित सूचित किया गया है, को और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिस्पष्टियाँ एवं संघर्षियाँ को, हस्तान्तरित नहीं करेंगे;

(5) आप, व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिस्पष्टियाँ या अन्य परिस्पष्टियाँ और संघर्षियाँ की किसी से प्राप्त किसी आय के लिए जिम्मेदार होने और ऐसी किसी आय को, ऐसी परिस्पष्टियाँ पर प्रतिभूत हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाने में जमा करेंगे ;

आपको आवेदक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, लिखित विवरण दायित्व करने और 10/01/2025 को सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निष्पत्ति ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के अंतर्गत निर्गत।

सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर

न्यायालय की मोहर